नहीं है, लेबर लैजिस्लेशन का कोई फायदा नहीं है। वहां पर मालिकों ने आतंक फैसला रखा है। टेलीग्राम में लिखा है कि मैं ने अनशन शुरू कर दिया है और सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है, इस लिये कि मिनिमम वेजिज एक्ट आप के पास है, जिस के जरिये अच्छी तरह जिन्दगी बसर करने के लिये हम लोगों को तनख्वाह मिल सकती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर किस वजह से उस को भूख-हड़ताल करनी पड़ी। आजाद हिन्दुस्तान में किसी को भूख-हड़ताल करने की नौबत नहीं आनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें मैं ने उन के सामने रखी हैं, उन की तरफ वह ध्यान दें।

जहां तक खेतीहर मजदूरों का सम्बन्ध है, आप ने कहा है कि ३,६०० गावों का डैटा कलेक्ट किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में आप को यह एक्ट लागू करना है। उन सात लाख गावों में कितने खेतीहर मजदूर होंगे ? अगर इस सम्बन्ध में आप की यही रफ्तार रही, अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे, तो मैं समझता हूं कि शायद पचास साल के बाद इस का फायदा होगा। तब तक वे लोग मिनिमम वेजिज एक्ट की तरफ देखते देखते मर भी जायेंगे और पंच-वर्षीय योजना से उन को कोई फायदा न होगा। अगर हम ने इस इस देश का निर्माण करना है, तो जो लोग वह निर्माण का काम करते हैं, उनको कम से कम वेज देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में कैपेसिटी टु पे का भी जिक्र किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के पास यह जानने के लिए क्या यार्डस्टिक है कि किसी की कैपेसिटी है या नहीं उसका मुनाफा चोर बाजारी में चला जाय, उसकी अपनी जेब में चला जाय, इमारतों की शक्ल में परिवर्तित हो जाय, लेकिन जब वेज के बारे में कोई बात हो, तो कहा जाता है कि कैपेसिटी टु पे नहीं है। आज आजाद हिन्दुस्तान में हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन समाजवाद के ये मायने नहीं हैं कि मजदूर यह समझे कि उसके लिए कोई समाजवाद नहीं है, वह केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ही है।

अन्त में मैं फिर मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वह लैदर वर्कर्ज, सी० पी० डब्लू० डी०, एम० ई० एस०, कन्ट्रैक्ट वर्कर्ज, खेतीहर मजदूरों और क्वेरीज में काम करने वालों की तरफ ध्यान दें। इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने लेबर व लैजिस्लेशन में—इस बिल में—रिजिडिटी लाये और जो इसको इम्प्लीमेंट न करे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और सजा दी जाय। दूसरों को तो आप सजा दे देंगे, लेकिन सरकारों को आप क्या कहेंगे ? हम को नैशनल वेज भी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे सब मजदूरों को यूनिफार्म फायदा मिले।

DELHI MUNICIPAL CORPORATION BILL*

17 hrs.

The Minister of Home Affairs (Pandit G. B. Pant): I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to the Municipal Government of Delhi.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduced a Bill to consolidate and amend the law relating to the Municipal Government of Delhi".

The motion was adopted.

Pandit G. B. Pant: I introduce** the Bill.

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II-Section 2, dated 7th September, 1957 pp. 545.—806

**Introduced with the recommendation of the President.